

कार्यालय कलेक्टर, जिला-कोरबा (छ0ग0) एवं पदेन उपसचिव छ0ग0 शासन
राजस्व एवम् आपदा प्रबंधन विभाग

00 अधिसूचना 00

क्रमांक / 10471/भू-अर्जन/2024


कोरबा दिनांक 23/07/2024


चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के लिये कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के उपबंधों के अनुसार अधिग्रहण हेतु छ.ग. राजपत्र में दिनांक 04 नवम्बर 2022 को प्रकाशित किया गया था। प्रकरण में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 21 की सुनवाई उपरांत प्राप्त दावा/आपत्ति के निराकरण तथा उसके पश्चात् विधान सभा आम निर्वाचन 2023 के दौरान प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने एवं निर्वाचन संबंधित कार्य में व्यस्त होने के कारण निर्धारित समयावधि दिनांक 04 नवम्बर 2023 तक प्रकरण में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका है। अतएव अधिनियम की धारा 25 में वर्णित प्रावधान एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार एक वर्ष समयवृद्धि की जाती है एवं जनसाधारण हेतु सूचना प्रकाशित/प्रदर्शित की जाती है।

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/ प. ह.नं.	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (ए.में)		
1	2	3	4	5	6	7
कोरबा	पोड़ी उपरोड़ा	सलिहाभांठा 35	37	4.43	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग कोरबा(छ0ग0)	जटगा से गुरसिया के मध्य सड़क निर्माण हेतु

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


अनुभारी अधिकारी (रा.)
पोड़ी उपरोड़ा


(अजीत वसंत)
कलेक्टर,
जिला-कोरबा
एवं पदेन उप सचिव छ.ग.शासन
राजस्व एवम् आपदा प्रबंधन विभाग